कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)।

क्रमांकः 246

दिनांक– 18-4-2024

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 150 दिनांक 29.02.2024 द्वारा माह **अप्रेल, 2024** में अवकाशों के दिन सीकर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गई थी, परन्तु प्रशासनिक कारणों से पूर्व आदेश क्रमांक 150 दिनांक 29.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुये माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर के आदेश क्रमांकःस्था./2024/2599 दिनांक 18.04.2024 की पालना में दिनांक 19.04.2024 को लोक सभा चुनाव 2024 होने के कारण सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में उपर्युक्त दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण एवं श्री दिलीप कुमार सैनी अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर के स्थान पर निम्न अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाती हैः–

क्र.स.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी सर्व श्री /श्रीमती /सुश्री	न्यायालय का नाम
1	2	3	4
1.	19.04.2024	श्री मनीष कुमार सिन्हा	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ

शेष रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 150 दिनांक 29.02.2024 प्रभावी रहेगा।

नोटः–

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तकरहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से सीकर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के सीकर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी.आई./2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

2. **सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.03.2024 से 14.04.2024 तक के अवकाशों में विशेष रूप से 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा दिनांक 15.04.2024 से 30.04.2024 तक के अवकाशों में विशेष रूप से 09.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे**

3. **रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पोक्सो कोर्ट से संबंधित पेश की जाने वाली एफ.आई.आर. को संबंधित पोक्सो कोर्ट (पोक्सो कोर्ट क्रम–1 या पोक्सो कोर्ट क्रम–2) को ही भेजी जाना सुनिश्चित करें।**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

क्रमांक- 247-252 दिनांक- 18.4.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर

2- श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सीकर

4- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01 व 02, सीकर, रींगस, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, क्रम संख्या-1 व 2 नीमकाथाना, क्रम संख्या-1 व 2 श्रीमाधोपुर

5- न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर/क्रम-1 व 2 सीकर/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (NIAct) प्रकरण सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/लक्ष्मणगढ/खण्डेला/फतेहपुर

6- अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर

7- कार्यालय, सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर

8- अध्यक्ष,बार एसोसिएशन, सीकर/नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर/फतेहपुर/लक्ष्मणगढ/दांतारामगढ/रींगस/धोद/खण्डेला

9- सिस्टम ऑफिसर, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट, सर्वर बेसमेंट, न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

10- इंचार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, सीकर

11- आदेश/संबंधित पंजिका।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सीकर (राज.)